# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 25/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. एरन्ता पत्नि शिवचरण जाति मीना निवासी बिछौछ

–प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री बनवारी लाल बंजारा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

## निर्णय

दिनांक :– 11-6-25

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 04 रकबा 2.44 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.44 है0 स्थित ग्राम कुँचाबाढ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास में है। प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहकर फसल काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि की एकमात्र स्वामी है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि से किसी दीगर व्यक्ति या आस पड़ौसी का कोई लेना देना नहीं है। इसके पश्चात भी प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के आस पडौसी खातेदारान आये दिन परेशान करते रहते है। तथा प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि की डौल मेड़ तोड़कर अपने खेतों में मिला लेते है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर अवैध कब्जा करने को उतारू रहते है। प्रार्थीया को फसल काश्त करने में दखल पैदा करते है। जिनका कि उनको कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी आस पड़ोसी खातेदारान बाज नहीं आ रहे है। एवं आये दिन बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि की अकेली खातेदार कब्जे काश्तकार है। इसके बावजूद भी आस पड़ौसी खातेदारान व्यवधान उत्पन्न करने से बाज नहीं आ रहे है। इस वजह से प्रार्थीया की उक्त कृषि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे की प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि में सुचारू रूप से काश्त कर लाभान्वित हो सके। प्रार्थीया दिनांक 09.04.2025 को अपने खेत को सार सम्भाल करने गयी थी तो मौके पर प्रार्थीया की भूमि की डौल मेड़ टूटी हुई मिली इस वजह से प्रार्थीया की कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 04 रकबा 2.44 है0 स्थित ग्राम कूचॉबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर पटवार मण्डल खेड़ली भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र खेड़ली तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 04 रकबा 2.44 है0 स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास स्थित

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

## // आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 पटवार मण्डल खेड़ली भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र खेड़ली तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 04 रकबा 2.44 है0 स्थित ग्राम कूचाबाढ़ चक नम्बर 03 तहसील बामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक खेड़ली को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक खेड़ली जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाईमाधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner